8-2-23 वादी द्वारा वाद में समझौता होने से उक्त वाद को विड्रा करने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त वाद में समझौता होने से उक्त वाद को वादी चलाना नहीं चाहता है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं उपस्थित वादी। वकील वादी को सुना। वादी द्वारा हस्ताक्षर युक्त आधार कार्ड सं. 293320202003 की प्रति पेश की। वादी ने कथन किया कि मैं उक्त वाद को चलाना नहीं चाहता हूँ। अतः उक्त वाद को विड्रा करने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से ...

(बजरंगलाल)
गवाह

(करतार S/o नन्दा जाट नि. रामपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2023.02.14 12:27:23 IST
Reason: SelfAttested